भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 173

सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

मातृत्व लाभ अधिनियम

173. डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री हेमन्त पाटिल:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
डॉ सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील:
श्री रंजीत सिंह हिंदूराव नायक निम्बालकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 में मातृत्व लाभ अधिनियम के कार्यकरण के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है और ऐसे प्रतिष्ठानों में महिलाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने मातृत्व अधिकार का दावा किया है;

(ग) उन महिलाओं की संख्या कितनी है जिन्हें मातृत्व अधिकार प्रदान किए गए थे और उन्हें कितनी अधिकार राशि प्रदान की गई है और अधिनियम को लागू नहीं करने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है; और

(ङ) क्या वर्ष 2015-19 के लिए ऐसे आंकड़े संकलित किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां।

(ख) से (ड.): इस अधिनियम में शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या और इन प्रतिष्ठानों में महिलाओं की संख्या, जिन्होंने मातृ हकदारिता का दावा किया है, अनुबंध - I में दी गई है।

वर्ष 2014 से 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतों और शुरू किए गए अभियोजनों (राज्यों द्वारा) की संख्या अनुबंध-II में दी गईं है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित सरकारों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

** ****

अनुबंध-I

मातृत्व लाभ अधिनियम के संबंध में डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे और अन्य द्वारा दिनांक 03.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2014 से 2016 के दौरान प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का कार्यकरण

वर्ष	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या	विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या	विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रतिष्ठानों में दैनिक नियोजित महिला कामगारों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान प्रसूति लाभ का दावा करने वाली महिलाओं की संख्या	स्वीकृत दावों और पूर्ण या आंशिक रूप से किए गए भुगतानों की संख्या	बोनस सहित प्रदत्त प्रसूति लाभ की कुल राशि (रू. में)
1	2	3	4	5	6	7
2014	149231	27560	799142	35035	32782	606332847
2015	88310	26558	969259	41123	24260	685581169
2016	82361	23371	924017	31568	28591	251743001

टिप्पणी: **1:** उपर्युक्त आंकड़े वर्ष के दौरान कारखानों, बागानों, खानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित हैं।

2: यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना पर आधारित है जिसमें हर वर्ष परिवर्तन होता है।

3: राज्य सरकार द्वारा श्रम ब्यूरो में वर्ष 2019 की विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि 30 अप्रैल, 2020 है।

अनुबंध-II

मातृत्व लाभ अधिनियम के संबंध में डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे और अन्य द्वारा दिनांक 03.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2014 से 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतों और शुरू किए गए अभियोजनों (राज्यों द्वारा) की संख्या

वर्ष	**प्राप्त शिकायतों की संख्या**	**जांच की गई शिकायतों/प्रतिष्ठानों की संख्या**	**शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या**	**प्राप्त दोष सिद्धियों की संख्या**	**लगाए गए जुर्माने की राशि (रू.)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2014	17	710	9	16	34700
2015	6	3	9	5	20000
2016	-	636	2	7	25000

टिप्पणी: **1**: उपर्युक्त आंकड़े वर्ष के दौरान कारखानों, बागानों, खानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित हैं।

2: यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना पर आधारित है जिसमें हर वर्ष परिवर्तन होता है।

3: राज्य सरकार द्वारा श्रम ब्यूरो में वर्ष 2019 की विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि 30 अप्रैल, 2020 है।

******